न्यायालय अपील अधिकारी (जिला कलेक्टर) सीकर
पीठासीन अधिकारी, मुकुल शर्मा आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 19/2025/प्रथम अपील

कन्हैयालाल, डीलर, ग्राम पोस्ट नरोदड़ा, तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला–सीकर (राज.)
–अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) सीकर
–रेस्पोडेन्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19(1) के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांकः– 29 अगस्त, 2025

1. यह अपील अपीलार्थी **कन्हैयालाल, डीलर** के द्वारा लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेसपोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया जाकर अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक **16.06.2025** में लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) सीकर से निम्नानुसार सूचनाएं चाही गई हैं:–
   1. भास्कर इण्डस्ट्रीज द्वारा परिवहन के लिए निविदा के दौरान दिये गये अनुबंध पत्र एवं निविदा शर्तों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

2. परिवहनकर्ता के वाहन चालक ओमप्रकास के द्वारा मन डीलर के फर्जी हस्ताक्षर कर 2209 किग्रा गेहूं की आपूर्ति में अमानत में खयानत, बी एन एस 2023 की धारा 336 (2) एवं 316 (3) का अपराधिक कृत्य किया है। इन तथ्यों को जांच कमेटी ने भी सत्यापित किया है। यदि विधि सम्मत अन्य विकल्प इस अपराध निस्तारण हेतु है, तो रसद विभाग के आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
3. निगम गोदाम से गंतव्य स्थान (उचित मूल्य की दुकान) के मध्य वाहन चालक गेहूं आपूर्ति के दौरान उपरोक्त अपराध कारित करता है तो रसद विभाग के आदेश के मुताबिक अभियोग दर्ज कराने के लिए किस सक्षम अधिकारी का दायित्व है। पदनाम के साथ आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने।
4. रसद विभाग के विधि प्रकोष्ठ ऐसे प्रकरणों में अपराधियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही हेतु विधि सलाहकार राय लेने हेतु जारी विभागीय आदेश प्रति उपलब्ध करावे। श्रीमान के कथनानुसार इस प्रकरण में राय ली गई है तो पत्रावली में अंकित टिप्पणी की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
5. ऐसे प्रकरणों में जांच कमेटी के प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा निष्कर्ष के बाद जांच परिणाम आदेश जारी करने एवं जन सुनवाई की समय सीमा तय होने पर भी 11 महीनों के बाद भी विधि सम्मत निर्णय न लेने के पीछे क्या कारण है। यदि विधि सम्मत कोई कारण है तो विभागीय आदेश की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी स्वयं अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्रांक 1284 दिनांक **21.08.2025** से अवगत करवाया गया है कि आवेदक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रस्तुत आवेदन में चाही गई सूचना कार्यालय जिला रसद अधिकारी, सीकर के पत्रांक रसद/आरटीआई/2025/1280 दिनांक 18.08.2025 के द्वारा आवेदक को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील खारिज करने का श्रम फरमावें।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर

5. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने अपील आवेदन के अनुसार सूचना चाही गयी थी। आवेदक द्वारा चाही गई वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) सीकर के द्वारा जरिये पत्रांक रसद/आरटीआई/2025/1280 दिनांक 18.08.2025 के द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को भिजवा दी गई है, जिसकी फोटोप्रति भी लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर के द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसके आधार पर लोक सूचना अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) सीकर का प्रत्युत्तर समुचित प्रतीत होता है।

6. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

7. उक्त आदेश के विरूद्ध, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है, जिसके लिए अपीलांट स्वतंत्र है।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

(मुकुल शर्मा)
प्रथम अपील अधिकारी
जिला कलक्टर, सीकर

(मुकुल शर्मा)
जिला कलेक्टर, सीकर